समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09.09.2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19.10.2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद शेख इस्लाम पे0 शेख समसुद्दीन सा0 जोतैली थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया और बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण कार्यालय के ज्ञापांक 255/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-02/1988(बिहारीगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अद्यतन समय तक समर्पित नहीं किया गया है और अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति भी उदासीन हैं।

लोक सभा आम चुनाव-2014 के अवसर पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 को कराने हेतु निदेश जारी किया गया था। अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष, बिहारीगंज के संयुक्त प्रतिवेदन ज्ञापांक 1147-2 दिनांक 19.03.2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया है, परन्तु पूर्व में पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाव एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है। प्रतिवेदन में शस्त्र अनुज्ञप्ति खोने की बात बतायी गई है। अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति प्राप्त करने हेतु इनके द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इनकी अनुज्ञप्ति वर्ष 2009 तक नवीकृत है। वर्ष 2010 से लेकर अद्यतन समय तक अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं है एवं उसके साक्ष्य में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस तरह अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति के प्रति सजग नहीं हैं तथा पूर्व में पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाब एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है, जो अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का सरासर उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए श्री शेख इस्लाम पे0 श्री शेख समसुद्दीन सा0 जोतैली थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-02/1988(बिहारीगंज थाना) को रद्द किया जाता है तथा धारा-21 के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना दो नाली बन्दूक सं0-76633 को बिहारीगंज थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगें।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पंजी में इस आशय की प्रवृष्टि करवाकर हस्ताक्षर अंकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 236 /श0, दिनांक 29.4.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : शेख इस्लाम पे0 शेख समसुद्दीन सा0 जोतैली थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

28/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।